# बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
# BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

## अधिसूचना

पटना, दिनांक 02.04.2026

अ.सं.-संबं0–6032/2024(पार्ट–II)–431/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की संबद्धता बोर्ड की दसवीं बैठक में दिनांक–02.04.2026 को कार्यावली सं0–BOA-02/10 पर गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों/ संस्थानों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र–2023–24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

| Sl. No. | Name of Institute | District | Course | No. of Seat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dashrath Prasad Singh Institute of Health Education | Muzaffarpur | ANM | 60 |
| 2 | S. M School of Nursing | Muzaffarpur | ANM | 60 |
| 3 | R. G College of Education | Vaishali | ANM | 60 |
| 4 | Sarvodaya Institute of Nursing & Paramedical | Kaimur | ANM | 60 |
| 5 | Kalmi Institute of Nursing | Saharsa | ANM | 60 |
| 6 | Benipur Nursing Training Sansthan | Darbhanga | ANM | 60 |
| 7 | Poonam Shankar Nursing & Paramedical College | Patna | ANM | 60 |
| 8 | DT Institute of Nursing & Paramedical | Samastipur | ANM | 60 |
| | | | GNM | 60 |
| 9 | Satyendram Nursing Institute of ANM | Munger | ANM | 45 |
| 10 | Mahabir Nursing School | Muzaffarpur | ANM | 50 |
| 11 | Aryabhatta Institute of Nursing & Paramedical | Patna | ANM | 60 |
| 12 | Mother Teresa Nurisng School | Katihar | ANM | 40 |
| 13 | Ashoka School of Nursing, (ANM) | Seikhpura | ANM | 60 |
| 14 | Patliputra Institute of Nursing Training | Patna | ANM | 50 |
| 15 | The Guidance Nursing Institute and Allied Sciences (ANM Training School) | Patna | ANM | 60 |
| 16 | Mirganj Nursing School & Training Institute | Gopalganj | ANM | 60 |
| 17 | Veer Kunwar Singh Nursing School | Bhojpur | ANM | 60 |
| 18 | N.P.Institute of Nursing | Seikhpura | ANM | 60 |
| 19 | KK Institute of Nursing (GNM Training School) | Nalanda | GNM | 60 |
| 20 | KK Institute of Nursing (ANM Training School) | Nalanda | ANM | 60 |
| 21 | Magadh ANM Training School | Nawada | ANM | 60 |
| 22 | Purnea Institute of Nursing | Purnea | ANM | 60 |
| | | | GNM | 60 |
| 23 | Anju Institute of Nursing Science | Nalanda | ANM | 20 |
| 24 | Bhagalpur Institute of Nursing | Bhagalpur | GNM | 60 |

**नियम एवं शर्त्तें:–**

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 एवं प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है। औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।

2. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को सत्र–2023–24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र–2023–24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त किए बिना नामांकन नहीं लेंगे। जिन नर्सिंग संस्थानों के सत्र–2023–24 की मान्यता का अवधि विस्तार संबंधी आदेश निर्गत नहीं हुआ है, उन्हें स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–659(6) दिनांक–16.06.2025 द्वारा प्राप्त मागदर्शन के आलोक में सत्र 2023–24 के लिये औपबंधिक संबद्धता प्रदान की जा रही है।
3. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
4. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. संस्थान द्वारा जमा करये गये शुल्कों में भविष्य में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो संबंधित संस्थान उक्त बकाया फीस जमा करेगें।
6. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
7. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय, में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए औपबंधिक संबद्धता किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा निमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
10. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
11. औपबंधिक संबद्धता विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का छः माह के अन्दर निरीक्षण किये जाने की शर्त्त पर प्रदान की जा रही है तथा निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी पाये जाने की स्थिति में संबद्धता वापस लिया जा सकता है।
12. संबंधित महाविद्यालय द्वारा Affiliation Fee एवं Endowment Fund का FDR जमा नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित सस्थान का परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

कुलपति के आदेशानुसार

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब0–6032/2024(पार्ट–II)–431/ पटना, दिनांक 02.04.2026

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं0–6032/2024(पार्ट–II)–431/ पटना, दिनांक 02.04.2026

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाऍ, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं0–6032/2024(पार्ट–II)–431/ पटना, दिनांक 02.04.2026

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(नर्सिंग)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/ कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

# बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

# BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in


## अधिसूचना

पटना, दिनांक 03/07/2026

अ.सं.:संबं0–6144/2024 (पार्ट–I)–1070/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की संबद्धता बोर्ड की बारहवीं बैठक की कार्यावली सं0–BOA-3/12 एवं तेरहवीं बैठक की कार्यावली सं0–BOA-2/13 पर गैर–सरकारी नर्सिंग संस्थानों द्वारा संबद्धता अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित नर्सिंग संस्थान को कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए सत्र–2024–25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

| Sl. No. | Name of College/Institute & District | Course | Intake Capacity for 2024-25 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Medical Training Sansthan, Buxar | GNM | 100 |
| 2 | Shershah Medical Research & Training Sansthan, Rohtas | GNM | 50 |
| | | ANM | 100 |
| 3 | Maa Tarachandi Institute, Rohtas | GNM | 60 |
| | | ANM | 60 |
| 4 | Shyam School of Nursing, Jehanabad | GNM | 60 |
| | | ANM | 50 |
| 5 | Light's Institute of Medical Science & Hospital, Rohtas | ANM | 60 |
| 6 | Sri Raj Nursing (ANM) Training Institute, Patna | ANM | 60 |
| 7 | Hirawati ANM Nursing School, Vaishali | ANM | 40 |
| 8 | RCH Nursing College, Siwan | GNM | 60 |
| 9 | Ram Pratap Institute of Nursing Sciences (ANM School), Patna | ANM | 45 |
| 10 | Vishun Dev Narayana Institute of Higher Education, Nalanda | ANM | 60 |
| | | GNM | 60 |
| 11 | Leader Institute of Higher Education, Samastipur | ANM | 60 |
| | | GNM | 60 |
| 12 | Pandit Deen Dayal Nursing School, Siwan | ANM | 60 |
| 13 | Gyanjyoti School of Nursing, Darbhanga | ANM | 40 |
| | | GNM | 60 |
| 14 | SNS Institute of Nursing Science, East Champaran | ANM | 50 |
| | | GNM | 100 |
| 15 | Rup Bala Memorial A.N.M Training School, Sitamarhi | ANM | 30 |
| 16 | Anamika Nursing & Paramedical College, Katihar | GNM | 60 |
| 17 | Mahabir Nursing School & College, Muzaffarpur | ANM | 50 |
| 18 | Priyadarshini Nursing Institute, Darbhanga | ANM | 100 |
| | | GNM | 100 |
| 19 | K K Institute of Nursing (ANM Training School), Nalanda | ANM | 60 |
| 20 | K K Institute of Nursing (GNM Training School), Nalanda | GNM | 60 |
| 21 | Kalyan Seva Sansthan College of Nursing, Jamui | ANM | 60 |
| | | GNM | 60 |
| 22 | National Institute of Health Education and Research, Patna | ANM | 50 |
| | | GNM | 60 |
| 23 | Swami Vivekanand Nursing School, Jamui | GNM | 60 |
| 24 | Bhagalpur Institute of Nursing, Bhagalpur | ANM | 40 |
| | | GNM | 60 |

**नियम एवं शर्त्तें:–**

1. संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदा की जा रही है।
2. संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगं

3. सभी नर्सिंग संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपति शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. संबंधित संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
6. विश्वविद्यालय/भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान का छः माह के अन्दर निरीक्षण किया जाएगा तथा संबंधित संस्थान को प्रदान किया जा रहा संबद्धता का अवधि विस्तार निरीक्षण के फलाफल से आच्छादित होगा।
7. संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
9. संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही सबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय संस्थान द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता अवधि विस्तार को वापस ले लिया जाएगा तथा निमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
10. संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं0–6144/2024 (पार्ट–I)–1070/ पटना, दिनांक 03/07/2026

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(नर्सिंग)/डीन(परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं0–6144/2024 (पार्ट–I)–1070/ पटना, दिनांक 03/07/2026

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाऍ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना